

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 154 / 2024


दिनांक : 15.01.2024

श्री धर्मेन्द्र सिंह जाखड़ (RJ00941), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, टोंक को दिनांक 15.01.2024 से 20.01.2024 तक 06 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 13.01.2024 से 14.01.2024 एवं 21.01.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री जाखड़ की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल कर रहे हैं।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, टोंक के पद पर ही होने की संभावना है।


आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
15.1.24
दिनांक : 15.01.2024

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/110/2015/ 435

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 74 दिनांक 02.01.2024 के सन्दर्भ में ।
3. श्री धर्मेन्द्र सिंह जाखड़ (RJ00941), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, टोंक ।
4. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, टोंक ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक ।


सहायक रजिस्ट्रार 15/1/24